प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 अप्रैल, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमर हयात पुत्र स्व0 मुंशीर अहमद, निवासी जनपद-अमेठी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-38867/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.12.2024) दिनांक 20.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमर हयात पुत्र स्व0 मुंशीर अहमद, गौसपुर, थाना-गौरीगंज, जनपद-सुल्तानपुर वर्तमान जनपद-अमेठी का निवासी है। प्रथम केस-पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 17.10.2008 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर शिव सिंह व विनोद कुमार नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-252/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02, रायबरेली के आदेश दिनांक 05.08.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। द्वितीय केस-मुकदमेबाजी व पुरानी रंजिश के विवाद को लेकर दिनांक 02.08.2007 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डण्डे से मारकर शेर मोहम्मद को घायल कर दिया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र-516/2007 में भा0द0वि0 की धारा-304 भाग-1/34, 323/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी द्वितीय, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 24.12.2020 द्वारा 10 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा दिनांक 06.12.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष 01 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 02 माह, 12 दिन एवं द्वितीय केस अपरिहार 04 वर्ष. 04 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष 04 माह, 16 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी अनिरूद्ध होने पर समाज को प्रभावित करने, छूटने पर बन्दी द्वारा पुनः अपराध की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी की उम्र अभी 52 वर्ष है. पुनः अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी अभी भी अशक्त नहीं है। समाज को भय मुक्त रखने का प्रयोजन होने, दोनों पक्षों के मध्य तनाव व्याप्त होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 17.10.2008 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर शिव सिंह व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विनोद कुमार नामक 02 व्यक्तियों की हत्या एवं द्वितीय केस मुकदमेबाजी व पुरानी रंजिश के विवाद को लेकर दिनांक 02.08.2007 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डण्डे से मारकर शेर मोहम्मद को घायल कर दिया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु कारित करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी उमर हयात पुत्र स्व0 मुंशीर अहमद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमर हयात (बंदी संख्या-299/2016) पुत्र स्व0 मुंशीर अहमद, निवासी जनपद-अमेठी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-387/2025/2278(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-387/2025/2278/22-2-2024-17(14)/2025

दिनांक 30 अपैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमर हयात पुत्र स्व0 मुंशीर अहमद, गौसपुर, थाना-गौरीगंज, जनपद-सुल्तानपुर वर्तमान जनपद-अमेठी का निवासी है। प्रथम केस-पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 17.10.2008 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर शिव सिंह व विनोद कुमार नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-252/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02, रायबरेली के आदेश दिनांक 05.08.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। द्वितीय केस-मुकदमेबाजी व पुरानी रंजिश के विवाद को लेकर दिनांक 02.08.2007 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डण्डे से मारकर शेर मोहम्मद को घायल कर दिया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र-516/2007 में भा0द0वि0 की धारा-304 भाग-1/34, 323/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी द्वितीय, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 24.12.2020 द्वारा 10 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा दिनांक 06.12.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष 01 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 02 माह, 12 दिन एवं द्वितीय केस अपरिहार 04 वर्ष. 04 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष 04 माह, 16 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी अनिरूद्ध होने पर समाज को प्रभावित करने, छूटने पर बन्दी द्वारा पुनः अपराध की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी की उम्र अभी 52 वर्ष है. पुनः अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी अभी भी अशक्त नहीं है। समाज को भय मुक्त रखने का प्रयोजन होने, दोनों पक्षों के मध्य तनाव व्याप्त होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 17.10.2008 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर शिव सिंह व विनोद कुमार नामक 02 व्यक्तियों की हत्या एवं द्वितीय केस मुकदमेबाजी व पुरानी रंजिश के विवाद को लेकर दिनांक 02.08.2007 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डण्डे से मारकर शेर मोहम्मद को घायल कर दिया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु कारित करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी उमर हयात पुत्र स्व0 मुंशीर अहमद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in